न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
387/2019	16.12.2019	28.10.2020

उनवान

1 राजवीर पुत्र श्री सूरजभान जाति अहीर निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. कमलेश
2. संतोषा
3. बबली पुत्रीयान श्री सूरजभान जाति अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा 88, 89 व 188 राज0 कास्त0 अधि0 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार माढैया एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.10.2020 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है:–

"उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया के वाद को स्वीकार पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 791/0.13, 792/0.35, 801/0.49, 803/0.75, 816/0.54 है0 के 1/4 भाग तथा खसरा नम्बर 815/0.63, 899/0.33 है0 के 1/4 भाग तथा 820/0.48 है0 के 15/228 भाग वाके ग्राम मानका तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायंत 03 के हो रहे नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही पूर्व में विरास्त इन्तकाल संख्या 3599 को प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है एवं उपरोक्त आराजीयात के बाबत वादी को वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजीयात को रहन, बय आदि प्रकार से मुन्तकिल नही करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वाद शीषर्क उक्त निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28.10.2020

(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.03 10:05:23 IST
Reason: SelfAttested